उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर

(परीक्षा अनुभाग)

क्रमांक–758 / परीक्षा / 2024 जबलपुर, दिनांक–14.08.2024

:: अ धि सू च ना ::

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, सेवा (भर्ती, सेवा की सामान्य शर्तें, आचरण, वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 2017 की अनुसूची–I के Ministerial Cadre के अनुक्रमांक–35 के अनुसार मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में पदस्थ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की जूनियर जूडिशियल असिस्टेंट के 09 पदों पर पदोन्नति विभागीय परीक्षा के माध्यम से की जानी है। उक्त विभागीय परीक्षा हेतु पात्र पाये गये कर्मचारियों की सूची संलग्न है। विभागीय परीक्षा से संबंधित निर्देश निम्नानुसार हैं :–

(एक) परीक्षा दिनांक व स्थान–

संलग्न सूची में दर्शित पात्र कर्मचारियों की विभागीय परीक्षा दिनांक–**01.09.2024** को परीक्षा अनुभाग, प्रशासनिक भवन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर में **प्रातः 11.00** बजे से आयोजित की जावेगी। पात्र कर्मचारियों को परीक्षा तिथि अथवा केन्द्र परिवर्तन के संबंध में कोई आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा, उक्त संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों को संक्षिप्ततः नस्तीबद्ध कर दिया जावेगा।

(दो) प्रवेश पत्र –

विभागीय परीक्षा के प्रवेश पत्र परीक्षा से यथासंभव 07 दिवस पूर्व प्रेषित किये जावेंगे, प्रवेश पत्र प्राप्त नहीं होने की दशा में परीक्षा अनुभाग, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश से प्रवेश पत्र प्राप्त किया जा सकता है। कर्मचारियों को प्रवेश पत्र में दर्शित निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

(तीन) विभागीय परीक्षा का पाठ्यक्रम –

क्र0	विषय	अंक	शब्द व समय
1	हिन्दी टाईपिंग	40	300 शब्द 10 मिनट में
2	अंग्रेजी टाईपिंग	40	350 शब्द 10 मिनट में
3	सामान्य अंग्रेजी (वस्तुनिष्ठ प्रश्न)	10	20 मिनट
4	कम्प्यूटर ज्ञान (वस्तुनिष्ठ प्रश्न)	10	

नोट :–

1. उपरोक्त तालिका में दर्शित क्रमांक 3 व 4 में दर्शित विषय के वस्तुनिष्ठ प्रश्न केवल अंग्रेजी भाषा में पूछे जावेंगे।
2. हिन्दी एवं अंग्रेजी टाईपिंग परीक्षा कम्प्यूटर पर आयोजित की जावेगी, इसके लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को पृथक से कम्प्यूटर की–बोर्ड सहित प्रदान किया जावेगा। अभ्यर्थी को परीक्षा में अपना की–बोर्ड लाने की अनुमति नहीं होगी। हिन्दी टाईपिंग परीक्षा रेमिन्गटन गेल ले–आऊट में ही संपादित की जावेगी।

3. विभागीय परीक्षा में कर्मचारियों को 10 मिनट में लगभग 300 शब्दों का हिन्दी टाईपिंग मैटर एवं 10 मिनट में लगभग 350 शब्दों का अंग्रेजी टाईपिंग मैटर टंकित करना होगा, जिसके लिए 40—40 अंक निर्धारित हैं। इसके पश्चात् सामान्य अंग्रेजी व कम्प्यूटर ज्ञान का प्रश्नपत्र, जो कि 20 अंकों का होगा, हल करना होगा। संपूर्ण परीक्षा एक शिफ्ट में 40 मिनट की होगी।

4. हिन्दी टाईपिंग परीक्षा में प्रत्येक त्रुटि, छूटे शब्द, अन्यत्र शब्द/चिन्ह आदि त्रुटि पाये जाने पर ऐसी प्रत्येक त्रुटि पर 0.50 अंक काटे जावेंगे एवं 80 त्रुटियों के पश्चात् उत्तरपुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा व 00 अंक प्रदान किये जावेंगे। बैकस्पेस में कोई अंक नहीं काटे जावेंगे।

5. इसी प्रकार अंग्रेजी टाईपिंग परीक्षा में प्रत्येक त्रुटि, छूटे शब्द, अन्यत्र शब्द/चिन्ह आदि त्रुटि पाये जाने पर ऐसी प्रत्येक त्रुटि पर 0.50 अंक काटे जावेंगे एवं 80 त्रुटियों के पश्चात् उत्तरपुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा व 00 अंक प्रदान किये जावेंगे। बैकस्पेस में कोई अंक नहीं काटे जावेंगे।

6. सामान्य अंग्रेजी व कम्प्यूटर ज्ञान के प्रत्येक सही उत्तर पर एक अंक प्रदान किया जावेगा।

(चार) परीक्षा का परिणाम :—

1. सामान्य अंग्रेजी व कम्प्यूटर ज्ञान के प्रश्नों के प्रस्तावित आदर्श उत्तर विभागीय परीक्षा के उपरांत उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश की वेबसाईट पर प्रदर्शित किये जावेंगे, यदि किसी कर्मचारी को प्रस्तावित बहुविकल्पीय प्रश्नों के आदर्श उत्तरों के संबंध में कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति उक्त सूचना प्रकाशन के तीन (03) दिनों के अंदर निर्धारित प्रारूप में स्त्रोत/दस्तावेज (जिस पर आधारित होकर कर्मचारी आपत्ति कर रहा है) सहित स्वयं या डाक द्वारा प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (परीक्षा), प्रशासनिक भवन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित अवधि में प्राप्त आपत्तियों/आवेदनों पर विचार करने के पश्चात् अंतिम आदर्श उत्तर तैयार किये जायेंगे व उसी के आधार पर परिणाम निर्मित किया जावेगा। आपत्ति/आवेदन निर्धारित समय में ऑफलाईन प्रस्तुत किये जा सकते है। निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त अथवा निर्धारित ऑफलाईन माध्यम से अन्यथा प्राप्त आपत्तियों/आवेदनों पर कोई विचार न करते हुए उन्हें नस्तीबद्ध कर दिया जावेगा। आपत्ति प्राप्त नहीं होने की दशा में प्रस्तावित आदर्श उत्तरों को ही अंतिम आदर्श उत्तर मानते हुए मूल्यांकन किया जावेगा।

2. विभागीय परीक्षा का परिणाम अभ्यर्थी के प्राप्तांकों (मेरिट) के आधार पर तैयार किया जावेगा। विभागीय परीक्षा में सफल होने के लिये पूर्णांक (100 अंक) में से 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

14/08/24

रजिस्ट्रार जनरल

पात्र आवेदकों की सूची

क्रमांक	आवेदक/आवेदिका का नाम एवं पदनाम	पिता/पति का नाम	जन्मतिथि
1	2	3	4
1	श्री आशीष गर्ग (कोर्ट अटेंडेंट)	श्री दिलीप गर्ग	15.07.1982
2	श्रीमति लक्ष्मी रजक (कोर्ट अटेंडेंट)	श्री राजकुमार रजक	08.10.1981
3	श्री ललित कुमार बाल्मीकि (स्वीपर) (नाम ग्रेडेशन अनुसार)	स्व.श्री हरी प्रसाद बाल्मीकि	20.06.1986
4	श्रीमति मनीषा प्रसन्ना कुंटे (कोर्ट अटेंडेंट)	स्व. श्री प्रसन्ना कुंटे	04.07.1973
5	श्री मोहन सिंह यादव (कोर्ट अटेंडेंट)	श्री दिमान सिंह यादव	12.09.1971
6	श्रीमति प्रियंका शर्मा (कोर्ट अटेंडेंट)	श्री आकाश शर्मा	18.12.1989
7	श्रीमति रमा कश्यप आत्मजा श्री रमेश कुमार कश्यप (कोर्ट अटेंडेंट)	श्री मोहित कश्यप	30.10.1984
8	श्री संजय कुमार तिवारी (कोर्ट अटेंडेंट)	स्व. श्री गौरीशंकर तिवारी	16.08.1980
9	श्री विजय पाल सिंह, कुक	श्री गोपाल सिंह	14.06.1991
10	दिनेश कुमार रजक, (कोर्ट अटेंडेंट)	श्री राम रजक	10.04.1986
11	श्री नीरज दुबे (कोर्ट अटेंडेंट)	श्री राजेन्द्र प्रसाद दुबे	05.07.1993
12	श्री दिनेश कुमार (कोर्ट अटेंडेंट)	स्व. श्री बाबू लाल बसोर	14.06.1980
13	श्री मुनिराज कुशवाहा (कोर्ट अटेंडेंट)	श्री श्रीनिवास कुशवाहा	17.01.1988
14	श्री अरूण कुमार (कोर्ट अटेंडेंट)	श्री संतोष कुमार	02.09.1993

रजिस्ट्रार जनरल